सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023 *Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2023

संख्या प.6(4)कृषि/ग्रुप-2/2004 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.07.2018 के द्वारा राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) जयपुर की स्थापना की गई थी।

अब राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) जयपुर द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा के ग्राम बसेडी़ में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा के राजस्व ग्राम बसेडी़ मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में - राजस्व ग्राम श्योसिंहपुरा की सीमा
पश्चिम में - राजस्व ग्राम गुढा कुमावतान व रामपुरा सीमा
उत्तर में - राजस्व ग्राम पचार की सीमा
एवं दक्षिण में - राजस्व ग्राम बेगस की सीमा

गौण मण्डी यार्ड बसेडी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

4481

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।